

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1867] No. 1867] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3,1938

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/SRAVANA 3, 1938

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

का.आ. 2524(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें समय—समय पर संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना का.आ. संख्या 422(अ), तारीख 21.02.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 25 पर 155.000 कि.मी. से 220.000 कि.मी. तक चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, समय—समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा का.आ. संख्या 422(अ), तारीख 21.02.2013 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

(क) अधिसूचना के पैरा 3 में आए शब्दों और आंकड़ों के स्थान परः

मीजूदा के स्थान पर	निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा
रा.रा. 25 के 155.000 कि.मी. से 220.000 कि.मी. तक	रारा. 25 के 157.850 कि.मी. से 225.713 कि.मी. तक
सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 39.215 कि.मी.	सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 37.879 कि.मी.

(ख) टिप्पणियों के पैरा–1 में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
187.50 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	37.879

3726 GI/2016 (1)

(ग) टिप्पणियों के पैरा–2 में सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए	बाइपास का नाम
	शुल्क संदेय है	
187.50 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत	4.810	पूंछ
गांव के पास)	4.224	ऐत
	2.100	गिरथन
	16.457	उरई
	(60 मीटर से अधिक की लम्बाई की संरचना	
	को छोड़कर)	
	2.300	सोमइ
योग	29.891	

- (घ) टिप्पणियों के पैरा-2 के पष्चात्, निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-
- "2 (क) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित		दर जिसपर शुल्क संदेय है
(चैनेज)	किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	लम्बाइ (१क.मा. म)	
187.50 कि.मी. (जालौन जिले में ऐत गांव के पास)	0.093*	0.930	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^{*} संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी.)	संरचना का आधार	कुल लम्बाई (मीटर)
(i)	223+585	रेलवे ओवर ब्रिज	93.000 मीटर
संरचना की कुल लम्बाई			93.000 मीटर

[फा. सं. भाराराप्रा / 13013 / 601 / 10-11 / सीओ / जीसी-झांसी (155-220)] दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2016

S.O. 2524(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended from time to time, the Central Government, vide notification S.O. 422(E) dated 21.02.2013 authorized National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, fee for use of the four and more lanes section from kilometer 155.000 to kilometer 220.000 (on the National Highway No. 25 in the State of Uttar Pradesh.

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 422(E) dated 21.02.2013.

(a) For the words and figures in Para 3 of the notification:

In place of existing	Shall be substituted as
kilometre 155.000 to kilometre 220.000 of NH-25	kilometre 157.850 to kilometre 225.713 of NH-25
Net road section length 39.215 kilometre	Net road section length 37.879 kilometre

(b) For the table in Para-1 of Notes, the following table shall be substituted:

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	37.879

(c) For the table in Para-2 of Notes, the following table shall be substituted:

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length of Bypass (in km) for which fee is payable	Name of bypass
Km 187.50 (near Ait	4.810	Punchh
village in Jalaun district)	4.224	Ait
	2.100	Girthan
	16.457	Orai
	(excluding length of structure >60m)	Orai
	2.300	Somai
Total	29.891	

- (d) After Para-2 of Notes, the following Para shall be inserted, namely:-
 - " 2(A) In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 187.50 (near Ait village in Jalaun district)	0.093*	0.930	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* The details of structures (> 60 m length) are as under:

S. No.	Chainage (km)	Type of structure	Total length (meter)	
(i)	223+585	Railway Over Bridge	93.000 m	
Total length of structure		93.000 m	,	

[F. No. NHAI/ 13013/601/10-11/ CO/GC- Jhansi (155-220)]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.